भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 209*

(10 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों को चिह्नित किया जाना

***209. श्री गणेश सिंह:**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांव वर्ष 2001 की मंजूरी के आधार पर चिह्नित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 2001 में स्वीकृत गांवों की तर्ज पर अन्य नए गांवों का चयन किया जाएगा;

(ग) मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए जनसंख्या सम्बन्धी मानदंड का ब्यौरा क्या है;

(घ) मध्य प्रदेश के सतना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और मैहर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चल रहे विभिन्न चरणों का ब्यौरा क्या है और कितने गांव सड़क से नहीं जुड़े हैं ; और

(ङ) क्या सरकार का उक्त गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए विशेष पैकेज प्रदान करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

लोकसभा में दिनांक 10.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 209 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत सड़क संपर्क की इकाई बसावट है न कि राजस्व गांव। वर्ष 2000 में शुरू की गई पीएमजीएसवाई योजना में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पात्र जनसंख्या रखने वाली बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्कता उपलब्ध करना है । पीएमजीएसवाई -I के तहत जनसंख्या मानक - मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक तथा पूर्वोतर , पहाड़ी राज्यों और विशेष श्रेणी क्षेत्रों (जैसे , रेगिस्तानी क्षेत्रों, जनजातीय (अनुसूची V) क्षेत्रों, और चयनित जनजातीय तथा पिछड़े जिलों) में 250 से अधिक हैं। वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों में जनसंख्या मानकों को और भी सरल कर दिया गया था , ताकि 100 या उससे अधिक जनसंख्या वाली बसावटों को शामिल किया जा सके।

जनगणना **2011** के अनुसार**,** मैदानी क्षेत्रों में **500** से अधिक जनसंख्या और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों**,** विशेष श्रेणी क्षेत्रों (जनजातीय अनुसूची-**V,** आकांक्षी जिले/ब्लॉक**,** रेगिस्तानी क्षेत्रों) और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में **100** से अधिक जनसंख्या वाली संपर्कविहीन बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्कता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए हाल ही में पीएमजीएसवाई- **IV** नामक एक नया घटक शुरू किया गया है। यह योजना वर्ष **2024-25** से **2028-29** तक **70,125** करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ कार्यान्वित की जाएगी**,** जिसमें **25,000** संपर्कविहीन बसावटों को संपर्कता प्रदान करने का लक्ष्य है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत संभावित बसावटों का सर्वेक्षण करने तथा नामित प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदन प्रदान करने के बाद ही पात्र बसावटों को अंतिम रूप दिया जाना है।

(घ) और (ङ): मंत्रालय में निर्वाचन क्षेत्र-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है। तथापि, सतना संसदीय क्षेत्र में केवल सतना जिला शामिल है। मैहर जिला भी वर्ष 2023 तक सतना जिले का हिस्सा था। मैहर जिले के लिए ऑनलाइन प्रबंधन , निगरानी और लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) पर अलग से कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मध्य प्रदेश के पूर्ववर्ती सतना जिले में पीएमजीएसवाई के विभिन्न कार्यकलापों/घटकों के अंतर्गत स्वीकृत और पूरी की गई परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

घटक	स्वीकृत सड़क कार्य (संख्या में)	स्वीकृत सड़क की लंबाई (किमी में)	स्वीकृत पुल कार्य (संख्या में)	पूर्ण सड़क कार्य (संख्या में)	पूर्ण पुल कार्य (संख्या में)	पूर्ण सड़क लंबाई (किलोमीटर में)	शेष सड़क* लंबाई (किलोमीटर में)
पीएमजीएसवाई - I	444	1,620	8	444	8	1,564	0

पीएमजीएसवाई - II	11	113	2	11	2	111	0
पीएमजीएसवाई - III	28	306	15	27	12	296	5
कुल	**483**	**2,039**	**25**	**482**	**22**	**1,971**	**5**

*** शेष सड़क लंबाई, स्वीकृत और पूरी की गई लंबाई के अंतर से कम है क्योंकि सड़क की लंबाई में कमी, मार्ग में बदलाव, अन्य एजेंसियों द्वारा कुछ हिस्से की सड़क बनाने आदि के कारण कुछ परियोजनाएं स्वीकृत लंबाई से कम लंबाई में पूरी हो गई थीं।**

पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत पात्र बसावटों की पहचान करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।

****